भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 18

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

स्टैंड-अप इंडिया योजना

18. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री गोविंद मकथप्पा कारजोल:
श्री नारायण तातू राणे:
श्री गोडम नागेश:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री चंदन चौहान:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री दुलू महतो:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
श्री बिद्युत बरन महतो:
डॉ. हेमंत बिष्णु सवरा:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री मलैयारासन डी.:
श्री बिष्णु दयाल राम:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री बलभद्र माझी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री आलोक शर्मा:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री नवसकनी के.:
श्री नव चरण माझी:
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टैंड-अप इंडिया योजना की मुख्य विशेषताएं और इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्टैंड-अप इंडिया योजना किस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करके बाधाओं को तोड़ती है और लाभार्थियों के चयन के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2018 से देश के विभिन्न राज्यों में इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला 31 उद्यमियों द्वारा स्वीकृत कुल राशि और खोले गए खातों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हिमालच प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश के जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए बैंक ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) हिमाचल प्रदेश के शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार ऋण राशि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(च) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण वितरण को सुगम बनाने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका क्या है और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने में क्या चुनौतियां आ रही हैं तथा अब तक राज्य-वार कितने नए व्यवसाय स्थापित हुए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से **(ङ):** स्टैंड-अप इंडिया योजना का शुभारंभ 05 अप्रैल, 2016 को किया गया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवा अथवा व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने और कृषि से संबद्ध कार्यकलापों के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना है।

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, 2.50 लाख ऋण खातों के आवंटित लक्ष्य की तुलना में 62,790 करोड़ रुपये के कुल 2.75 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत बुनियादी पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:-

1. 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी।
2. गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी का 51% अ.जा./अ.ज.जा.और/या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए।
3. उधारकर्ता किसी बैंक/वित्तीय संस्था के प्रति चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
4. ऋण अर्थात कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण दोनों समिश्र होना चाहिए।

अप्रैल 2018 से मार्च, 2025 तक देश में (कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य सहित) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को स्वीकृत ऋण खातों और स्वीकृत राशि की संख्या में वृद्धि अनुबंध-I में दी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों और पालघर जिला, महाराष्ट्र और शिमला, हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को स्वीकृत ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा (स्थापना से, मार्च 2025 तक) अनुबंध- II में दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत उस श्रेणी (रेटिंग) के लिए बैंक की न्यूनतम लागू ब्याज दर पर 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान किए गए। यह ऋण अधिकतम 18 महीनों तक के अधिस्थगन के साथ 7 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि (आधार दर एमसीएलआर+3%+ टेनर प्रीमियम) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(च) सरकार ने तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की गई योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, गहन प्रचार अभियान, आवेदन पत्र का सरलीकरण, क्रेडिट गारंटी स्कीम, मार्जिन राशि में कमी और कृषि से संबद्ध कार्यकलापों को शामिल करना शामिल है। स्थापित नए कारोबार के राज्य-वार आंकड़े अनुबंध-II में दिए गए हैं।

"स्टैंड-अप इंडिया योजना" के संबंध में 21.07.2025 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (ग) में विनिर्दिष्ट अनुबंध-I

कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों सहित अ.जा./अ.ज.जा./महिलाओं को ऋण के लिए खोले गए खातों और स्वीकृत राशि (अप्रैल 2018 से मार्च 2025 तक) में राज्यवार स्टैंड अप इंडिया योजना में (एसयूपीआई) वृद्धि

[राशि करोड़ रुपये में]

क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**ऋण खातों की संख्या में वृद्धि**	**स्वीकृत राशि में वृद्धि**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	339	70.23
2	आंध्र प्रदेश	11721	2639.81
3	अरुणाचल प्रदेश	872	166.23
4	असम	2461	611.6
5	बिहार	7143	1456.66
6	चंडीगढ़	437	115.83
7	छत्तीसगढ़	3411	922.36
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	124	27.95
9	दिल्ली	4805	1237.34
10	गोवा	695	166.33
11	गुजरात	14508	4229.52
12	हरियाणा	6194	1407.34
13	**हिमाचल प्रदेश**	**2609**	**676.1**
14	जम्मू और कश्मीर	1306	288.89
15	झारखंड	3152	677.17
16	**कर्नाटक**	**13389**	**2946.74**
17	केरल	8813	1685.13
18	लद्दाख	585	116.73
19	लक्षद्वीप	2	0.3
20	मध्य प्रदेश	10293	2651.15
21	**महाराष्ट्र**	**20270**	**4902.71**
22	मणिपुर	420	95.07
23	मेघालय	525	125.84
24	मिजोरम	551	132.11
25	नागालैंड	743	173.68
26	ओडिशा	6099	1552.38
27	पुडुचेरी	406	96.97
28	पंजाब	7014	1598.3
29	राजस्थान	11686	2761.18
30	सिक्किम	579	90.4
31	**तमिलनाडु**	**20350**	**4529.35**
32	तेलंगाना	10439	2447.35
33	त्रिपुरा	521	110.51
34	**उत्तर प्रदेश**	**19904**	**4263.01**
35	उत्तराखंड	2722	676.46
36	पश्चिम बंगाल	9978	1907.94
कुल		**205066**	**47556.69**

"स्टैंड-अप इंडिया योजना" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध-II

स्टैंड अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) के प्रारंभ से लेकर अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं (पालघर और शिमला जिले सहित) को स्वीकृत ऋण का राज्यवार डेटा (अप्रैल 2016 से मार्च 2025 तक)

[राशि करोड़ रुपये में]

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	एससी (महिलाओं सहित)		एसटी (महिलाओं सहित)		महिला (सामान्य)		कुल	
		खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	39	7.13	21	6.07	339	68.59	399	81.79
2	आंध्र प्रदेश	4,274	1002.65	698	155.56	10,417	2343.28	15,389	3501.5
3	अरुणाचल प्रदेश	21	5.63	938	182.84	45	11.22	1,004	199.68
4	असम	732	173.78	518	121.93	2,502	585.29	3,752	881.01
5	बिहार	1,396	266.28	112	19.54	8,048	1627.17	9,556	1913
6	चंडीगढ़	117	27.9	25	5.53	553	133.42	695	166.85
7	छत्तीसगढ	836	201.09	464	94.37	4,013	1061.29	5,313	1356.76
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	32	5.84	20	3.64	123	37.95	175	47.43
9	दिल्ली	1,289	293.37	161	32.41	5,474	1374.24	6,924	1700.03
10	गोवा	118	32.92	42	8.48	772	168.49	932	209.89
11	गुजरात	2,993	719.18	1,117	259.92	15,096	4569.11	19,206	5548.21
12	हरियाणा	1,531	288.92	51	14.1	7,009	1633.7	8,591	1936.72
13	हिमाचल प्रदेश	710	151.55	398	92.63	2,368	591.61	3,476	835.79
14	जम्मू और कश्मीर	243	47.34	255	51.2	1,288	288.57	1,786	387.11
15	झारखंड	489	88.05	371	74.8	3,703	793.16	4,563	956
16	कर्नाटक	3,108	661.1	868	166.96	12,870	2922.34	16,846	3750.4
17	केरल	1,045	184.08	152	25.06	9,304	1824.79	10,501	2033.93
18	लद्दाख	50	10.54	572	110.52	19	4.23	641	125.29
19	लक्षद्वीप	1	0.2	2	0.43	0	0	3	0.63
20	मध्य प्रदेश	3,290	766.52	875	187.28	9,568	2472.98	13,733	3426.79
21	महाराष्ट्र	4,788	1122.83	1,240	284.02	19,628	4725.09	25,656	6131.94
22	मणिपुर	54	11.73	229	53.47	254	52.4	537	117.59
23	मेघालय	30	6.1	530	124.14	119	28.81	679	159.05
24	मिजोरम	21	4.66	646	152.9	35	7.65	702	165.2
25	नागालैंड	33	6.61	847	190.41	79	17.29	959	214.31
26	ओडिशा	1,285	290.94	366	74.92	6,734	1634.25	8,385	2000.11
27	पुदुचेरी	82	17.44	7	0.97	481	115.89	570	134.3
28	पंजाब	2,151	428.26	127	28.34	7,125	1626.29	9,403	2082.89

29	राजस्थान	2,768	617.02	1,401	285.98	10,973	2583.56	15,142	3486.56
30	सिक्किम	91	13.17	361	59.25	218	31.86	670	104.28
31	तमिलनाडु	5,958	1096.31	641	117.3	19,968	4673.7	26,567	5887.31
32	तेलंगाना	3,182	726.65	2,027	447.16	9,178	2178.8	14,387	3352.61
33	त्रिपुरा	190	40.72	102	18.92	381	77.52	673	137.15
34	उत्तर प्रदेश	5,225	1000.11	287	62.2	23,162	4945.84	28,674	6008.16
35	उत्तराखंड	630	136.12	268	54.31	3,034	760.12	3,932	950.54
36	पश्चिम बंगाल	4,100	715.39	252	45.28	10,518	2038.99	14,870	2799.66
कुल योग		**52,902**	**11168.15**	**16,991**	**3612.84**	**205,398**	**48009.47**	**275,291**	**62790.47**
	जिला पालघर (महाराष्ट्र)	26	5.28	13	1.77	302	66.07	341	73.13
	जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)	104	21.77	29	6.29	368	89.55	501	117.61